

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce>

e-mail: nssceraj@gmail.com Ph.: 8377917640

क्रमांक : F.8() Election/NSS/CCE/2024-01722/

दिनांक: नवम्बर, 2024

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :- मतदाता पंजीकरण के लिए क्लस्टर कैम्पों के आयोजन में सहभागिता हेतु।

सन्दर्भ :- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.4(3)(3) स्वीप/ निर्वा/ SSR 2025 /9470 जयपुर दिनांक 08.10.2024.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम- 2025 के दौरान मतदाता सूची में राजकीय निजी, स्कूलों, कॉलेजों एवं विशेषयोग्यजन मतदाताओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण किया जाना है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु साल में 04 अवसर प्रदान किए हैं। 17 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा, जो आगामी अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे। **Voter Helpline App/Voter Portal** पर ऑनलाइन अग्रिम आवेदन कर सकते हैं।

अतः मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के संलग्न पत्रानुसार विभिन्न तिथियों को मतदाता पंजीकरण क्लस्टर कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है। अतः संबंधित प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि आपके महाविद्यालय में पात्र विद्यार्थियों का क्लस्टर कैम्पों में मतदाता पंजीकरण हेतु सहभागिता करवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

(डॉ.ओम प्रकाश बैरवा)
आयुक्त

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. वेबसाईड प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को अपलोड/ई-मेल हेतु।
4. रक्षित पत्रावली

(डॉ.ओम प्रकाश बैरवा)

आयुक्त
Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2024.11.07 14:17:23 IST
Reason: Approved





मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान

SVEEP

क्रमांक: एफ.4(3)(3)स्वीप/निर्वा/SSR 2025/ 9470 जयपुर, दिनांक : 8.10.2024
 प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
 राजस्थान, जयपुर।
 प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)
 राजस्थान।

विषय : विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के दौरान सभी जिलों में मतदाता पंजीकरण हेतु क्लस्टर कैंपों का आयोजन।
प्रसंग : विभागीय पत्र क्रमांक 8791 दिनांक 03.09.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के दौरान मतदाता सूची में राजकीय, निजी स्कूलों, कॉलेजों एवं विशेषयोग्यजन मतदाताओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण किया जाना है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु साल में 04 अवसर (1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर) प्रदान किए गए हैं। अतः 17 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा, जो आगामी अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे, Voter HelplineApp/Voter Portal पर ऑनलाइन अग्रिम आवेदन कर सकते हैं।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के निम्नांकित तिथियों को मतदाता पंजीकरण क्लस्टर कैंपों का आयोजन किया जाए -

क्लस्टर कैंप	दिनांक	स्थान
Youth (ELC School/ Colleges)	11.11.2024 (सोमवार) एवं 12.11.2024(मंगलवार)	कॉलेज/ माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में
PwD	18.11.2024 (सोमवार)	कॉलेज/ माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालय/ विशेष विद्यालय/ आवासीय विद्यालय/ सीएसओ/ एनजीओ/ पंचायतीराज संस्थानों
Transgenders	19.11.2024 (मंगलवार)	डेर/ हवेलिया पर डोर-टू-डोर सर्वे कर चिन्हित स्थानों पर
PVTG, Denotified & Nomadic Tribes	19.11.2024 (मंगलवार)	ईआरओ द्वारा चिन्हित स्थानों पर

उपरोक्तानुसार मतदाता पंजीकरण क्लस्टर कैंपों में 1 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु निम्न दिशा- निर्देशों का पालन किया जावे-

- DEO/Distt. SVEEP Nodal/ ERO/D-AERO के निर्देशन में कैंपों का आयोजन किया जावे।
- 40 प्रतिशत एवं अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों का चिन्हीकरण (Flagging) एवं पंजीकरण किया जावे।
- ईएलसी (स्कूल/ कॉलेज) नोडल/ पीडब्ल्यूडी नोडल (एसजेईडी)/ सीएसओ/ एनजीओ/ आंगनवाडी कार्यकर्ता/ आशा सहयोगिनी आदि का सहयोग लिया जावे।
- पोस्टर, स्लोगन, होर्डिंग, पम्पलेट आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जावे।

मतदाता सूची में ऑनलाइन पंजीकरण हेतु VoterPortal & Voter Helpline App लॉगिन करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यक्रम अनुसार मतदाता पंजीकरण क्लस्टर कैम्पों का आयोजन करवाकर सूचना निम्न गूगल शीट लिंक पर भरवाया जाना सुनिश्चित करावें।

1- ELC Cluster (School/College) drive link -

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nMGMp6cCWVjc_NZ38vcjE5mHbhvPj81Qg9hP3axioAg/edit?usp=sharing

2- PwD Cluster Camp drive link -

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sBJo7-o4FOic5Mdvh5AKQw0uEgt-DLoaTWK6z-RIHDQ/edit?usp=sharing>

3- PVTG & Transgender (TG) Cluster Camp drive link -

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oy9TtfN7By4_5RNtEVPFHU2xJoGmk7ysDO2f6Ob3y6Y/edit?usp=sharing

भववीर,

(नवीन महाजन)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान

क्रमांक: एफ.4(3)(3)स्वीप/निर्वा/SSR-2025/ 9470 जयपुर, दिनांक : 8.10.2024

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि ईएलसी राज्य समन्वयक एवं समस्त जिला नोडल अधिकारी, ईएलसी (कॉलेज) को निर्देशित करावें।
3. निदेशक, निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को प्रेषित कर अनुरोध है कि ईएलसी राज्य समन्वयक, समस्त जिला नोडल अधिकारी, ईएलसी (स्कूल) एवं विशेष शिक्षकों को निर्देशित करावें।
4. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर, राजस्थान को प्रेषित कर निवेदन है कि समस्त जिला नोडल अधिकारी (उपनिदेशक), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान को निर्देशित करावें।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान